न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—339/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/339)

1. अनिल पुत्र जेठमल, जाति बाह्मण, निवासी जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मणलाल पुत्र मोतीलाल
2. रामकरण पुत्र मोतीलाल
   समस्त जाति बाह्मण, निवासी गिरवर रोड़ जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
3. घीसालाल पुत्र मोतीलाल **(फौत)**
   3/1 शांतिदेवी पत्नि घीसालाल
   3/2 रमेशचंद पुत्र घीसालाल
   3/3 हरीशचंद पुत्र घीसालाल
4. सत्यनारायण पुत्र रामलाल
5. मदनलाल पुत्र रामलाल
6. श्रीमती नानी पत्नि रामलाल
7. आरती पुत्री जेठमल
8. श्रीमती गीता पत्नि जेठमल
   समस्त जाति बाह्मण, निवासी जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिजयनगर, जिला अजमेर।
10. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2021 उपखण्ड अधिकारी मसूदा, राजस्व वाद संख्या 98/2020.

उपस्थितः—

1. श्री हसन खान, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री वैभव पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9.
4. श्री राजेन्द्र सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 10.
5. रेस्पोडेंट संख्या 7, 8, अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—06.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 98/2020 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/वादीगण द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 10/प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

विभाजन हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4215 व 4220 कुल किता 2 कुल रकबा 11.8679 हैक्टर वाके ग्राम जालिया, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित है उपरोक्त आराजीयात में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का 1/5 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 का 1/5 तथा अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 8 का 1/15–1/15 हिस्सा राजस्व अभिलेख अनुसार दर्ज है। उक्त अनुसार वाद डिक्री कर विभाजन की आज्ञप्ति प्रदान की जावे। उक्त प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 द्वारा प्रतिवाद पत्र के साथ वांछित संलग्न मानचित्र अनुसार वाद–पत्र को डिक्री किए जाने का निवेदन किया एवं अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया तथा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूं में पक्षकारान के मध्य रूप से आपस में विभाजन हो रखा है। जिसके अनुसार विभाजन में बंजर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 7 के हिस्से में दी गई तथा अधिक उन्नत भूमि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा 3 लगायत 6 को दी गई है। इस कारण 1/5 हिस्से की भूमि के अतिरिक्त तीन बीघा भूमि अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 7 से 8 को अतिरिक्त दी गई। जो कि 1/5 हिस्से के अतिरिक्त तीन बीघा भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 उक्त 3 बीघा भूमि को हडपना चाहते है। अतः प्रस्तुत वाद पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। साथ ही काउन्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 1/5 हिस्से के अतिरिक्त तीन बीघा भूमि पर मौखिक विभाजन अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिस अनुसार खातेदार घोषित किए जाने योग्य है। अतः 1/5 हिस्से की भूमि के अतिरिक्त तीन बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित की जावे। उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व वाद में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 10.3.2021 को उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर एकमात्र वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 की बहस सुनी जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.3.2021 से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है, अंकन करते हुए वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का वाद पत्र डिक्री किए जाने के आदेश पारित किया गया है एवं इसके पश्चात दिनांक 3.9.2021 को पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित नक्शे कुरेजात के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की जाकर अपीलांट को उसके खातेदारी की आराजीयात से महरूम किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 98/2020 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2021 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 7, 8 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 12.3.2021 पारित किए जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, पत्रावली में प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकपक्षीय आदेश अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की सहमति होना वर्णित करते हुए पारित किए गए है। जिसकी किसी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी अपीलांट को निर्णय से पूर्व नहीं दी गई। राजस्थान राज्य में कोरोना अवधि के दौरान प्रार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके व ना ही प्रकरण में पारित निर्णय की जानकारी रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 7 को निरस्त करते हुए अंतिम डिक्री दिनांक 3.9.2021 को पारित की गई है, प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हिस्से की आराजीयात में शामलात रही है, पर जबरन दखलंदाजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा किए जाने पर प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, जिस पर पटवारी हल्का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

द्वारा निर्णय व डिक्री के बाबत अवगत कराया गया, तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त करने पर उक्त इंद्रजात के बाबत जानकारी हुई, तत्पश्चात अपने अधिवक्ता से दिनांक 9.10.2022 को सम्पर्क कर प्रकरण में जानकारी चाही गई। जिस पर उनके अधिवक्ता द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई एवं न्यायालय से प्रकरण की जानकारी 10.10.2022 को प्रस्तुत किया गया। जानकारी होने पर आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 12.10.2022 को उपलब्ध होने पर तथा प्रार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोही किए जाने हेतु विधिक जानकारी दी गई। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 /वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र से पूर्व पक्षकारान के मध्य मौके पर मौखिक विभाजन अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 को पृथक से तीन बीघा भूमि दी गई। जिस बाबत अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है उक्त आधार पर प्रकरण में बिना तनकियात कायम किए अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 10.3.2021 को की जाकर प्रकरण को बिना दस्तावेजात को प्रदर्शित कराए, बिना साक्ष्य लिए डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है। इसके पश्चात प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के बावजूद बिना नोटिस जारी किए, बिना मौके पर प्रार्थी की उपस्थिति के एकपक्षीय मौका रिपोर्ट नक्शे कुरेजात प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से मना किया, अंकन कर प्रेषित किए जिसके आधार पर अंतिम डिक्री दिनांक 3.9.2021 को पारित कर रोड साईड से पीछे की जमीन प्रार्थी को दी गई है, जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर पारित निर्णय व डिक्री होने से निरस्तनीय है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.3.2021 में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार योग्य नहीं होने से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 की अनुपस्थिति दर्शाते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है। जबकि जा0दी0 के आदेश 9 नियम 8 के अनुसरण में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 की अनुपस्थिति में अधिकाधिक काउन्टर क्लेम को अदम हाजरी पैरवी में निरस्त किया जा सकता था। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्शाते हुए गुणावगुण पर निरस्त किया जाकर वाद पत्र को प्राथमिक डिक्री किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। इसके पश्चात नक्शे कुरेजात मंगाए जाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया है। जिस पर एकपक्षीय नक्शे कुरेजात के आधार पर अंतिम डिक्री दिनांक 3.9.2021 को पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर साधारण नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए गए है जिनकी तामिली रिपोर्ट हेतु पत्रावली तक जेरकार रही है उक्त प्रस्तुत वाद पत्र में एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 द्वारा सहमति दी जाकर वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित बताया है, अंकन करते हुए तनकियात निर्मित किए बगैर बिना साक्ष्यों को प्रदर्श मार्क किए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के अभाव में प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.3.2021 को पारित की गई है। जबकि वादी अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य वाद निरस्तारण हेतु प्रदर्शित नहीं कराई गई व ना ही वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है। एकमात्र प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर वादपत्र को डिक्री किए जाने एवं एकपक्षीय नक्शे कुरेजात के आधार पर अंतिम डिक्री दिनांक 3.9.2021 को पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसरण में तनकियात निर्मित की जाकर साक्ष्य ली जाकर वाद का निस्तारण किया जाना चाहिए, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत वाद पत्र में बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

खातेदारान को नोटिस जारी किए, बिना विधिवत रूप से न्यायिक प्रक्रिया के अनुसरण में साक्ष्य लिए बिना ही वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश दिए गए है। तहसीलदार, बिजयनगर द्वारा मौके पर स्वयं नहीं जाकर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक से बंटवारा प्रस्ताव बनावाए गए है, जिसमें बिना अपीलांट को नोटिस जारी किए एकपक्षीय नक्शे कुरेजात प्रेषित किए गए है, जिसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर पारित किए जाने से निरस्तनीय है। वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को एकपक्षीय रूप से डिक्री किया जाकर इन्हीं सहखातेदारान के नाम रहे राजस्व अभिलेख में रहे अंकन के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को विभाजन किए जाने के आदेश दिए गए हैं एवं इसके पश्चात एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 की उपस्थिति में अंतिम डिक्री पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित एकपक्षीय नक्शे कुरेजात के आधार पर प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 3.9.2021 से अंतिम डिक्री के आदेश पारित किए गए। न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तनकियात कायम किए बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किए पत्रावली में प्राथमिक डिक्री पारित कर निर्णित किया गया है एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना साक्ष्य लिए वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जिसकी अनुपालना में एकपक्षीय रूप से नक्शे कुरेजात जो कि आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत प्रेषित की है, पर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकमात्र वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का हिस्सा पृथक रूप से दर्शाया जाकर विशिष्ठ भू भाग की आराजीयात को उसके नाम अंकन कर शेष रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 व अपीलांट का हिस्सा शमलाती रूप से जमाबंदी में अंकन किए जाने बाबत अंतिम डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 25.3.2021 को प्रार्थना पत्र एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बिजयनगर से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, पर एकमात्र वादी की बहस सुनी जाकर वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 3.9.2021 को नियत की गई एवं उक्त पेशी पर एकमात्र वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की बहस सुनी जाकर प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित की गई है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 98/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आरबीजे (24) 2017 पेज 321, आरआरटी (2) 2020 पेज 741, आरबीजे (18) 2011 पेज 593, आरबीजे (17) 2010 पेज 376, आरबीजे 2020 पेज 133, आरबीजे (27) 2020 पेज 141, आरआरडी 1991 पेज 293, आरआरटी (1) 2004 पेज 374, आरआरटी (1) 2004, आरआरडी 1998.

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री कीं पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील के गुणावगुण पर कथन किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 12.3.2021 को प्रारंभिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके तहत तहसीलदार, बिजयनगर को बंटवारा प्रस्ताव हेतु पत्र क्रमांक 31 दिनांक 15.3.2021 को जारी किया गया। जिसके तहत तहसीलदार विजयनगर ने अपने पत्र क्रमांक 861 दिनांक 24.3.2021 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी जाकर ही

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03.09.2021 पारित किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 03 घीसालाल ने दिनांक 05.09.2021 को एक बक्शीशनामा अपने पोते नीरज शर्मा पुत्र श्री हरीशचन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जालिया द्वितीय हाल निवासी 34 प्राज्ञनगर बरल द्वितीय बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर के पक्ष में खसरा नम्बर 5135/5133 रकबा 0.4084 हैक्टेयर भूमि किये जाने का आदेश प्रदान किया। अप्रार्थी संख्या 03 घीसालाल ने दिनांक 02.09.2021 को एक बक्शीशनामा अपने पोते नीरज शर्मा पुत्र श्री हरीशचन्द्र शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जालिया द्वितीय हाल निवासी 34 प्राज्ञनगर बरल द्वितीय बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर के पक्ष में खसरा नम्बर 5133/4220 रकबा 0.7725 हैक्टेयर भूमि में से दक्षिणी दिशा में भूमि रकबा 0.3641 हैक्टेयर भूमि किये जाने का आदेश प्रदान किये गये। उक्त बक्शीशनामें के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2289 दिनांक 09.09.2021 को श्री नीरज कुमार के नाम पर तस्दीक किया गया तथा नामान्तकरण संख्या 2289 दिनांक 09.09.2021 को श्री नीरज कुमार के नाम वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पम्प) के आधार पर तस्दीक किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 घीसालाल के पास भूमि 5128/4215 भूमि शेष बची जिस पर मृतक घीसालाल के वारिस 3/1 लगायत 3/3 काबिज काश्त है। नीरज शर्मा पुत्र श्री हरिशचन्द्र शर्मा ने नामान्तकरण तस्दीक होने के बाद जो भूमि उसे बक्शीशनामे से अप्रार्थी संख्या 03 घीसालाल से प्राप्त हुई थी उसको सम्पर्ण किया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 2385 दिनांक 23.03.2022 को तस्दीक किया गया तथा दिनांक 28.04.2022 को कनवर्जन किये जाने के आदेश प्रदान किये गय जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 2447 दिनांक 19.07.2022 को तस्दीक किया गया तथा दिनांक 28.04.2022 तथा जिला कलक्टर अजमेर ने दिनांक 06.10.2022 को पेट्रोल पम्प के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रदान किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2308 दिनांक 22.10.2021 को तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना हो चुकी है तथा इसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है भूमि का किस्म परिवर्तन किया जा चुका है तथा पेट्रोल पम्प की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा पेट्रोल पम्प सुचारू रूप से चालू है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय में क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

8. हमने उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

9. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की जानकारी पूर्व से ही थी चुँकि न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 338/2022 बउनवानी अनिल बनाम लक्ष्मण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को न्यायहित में स्वीकार किया जा चुका है इसलिए निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03.09.2021 में भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते है।

10. गुणावगुण पर अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन तहसीलदार, विजयनगर के पत्र क्रमांकः 861 दिनांक 24.03.2021 के साथ सलंग्न मौका पर्चा दिनांक 22.03.2021 में तहसीलदार, विजयनगर द्वारा यह कथन अंकित किया कि बंटवारा प्रस्तुत तैयार करने हेतु मौके पर स्वयं उपस्थित हुआ एवं मौके पर सहखातेदार उपस्थित मिले तथा सह खातेदार अनिल पिता जेठमल ने हस्ताक्षर करने से हस्ताक्षर करने से मना किया जिससे यह तथ्य सामना आता है कि अपीलांट स्वयं उपस्थित होते हुए भी उक्त मौका पर्चा पर कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

आक्षेप/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है यदि उक्त मौके पर्चा से अपीलांट असंतुष्ट थे तो उन्हे तहसीलदार, विजयनगर या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र थे किन्तु अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की गई हैं। तहसीलदार, विजयनगर द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18–21 की पालना सुनिश्चित की जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका पर्चा तैयार किया गया। जिसके आधार पर दिनांक 03.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 घीसालाल पुत्र मोती लाल के हिस्से की भूमि का किस्म परिवर्तन किया जा चुका है तथा पेट्रोल पम्प की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चूँकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/3 के हिस्से तक भूमि सम्परिवर्तन की जा चुकी है, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/3 की हद तक तो पोषणीय नही है तथा जहॉ तक एक पक्षीय कार्यवाही का प्रश्न है तो इस बाबत् सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 में यह उल्लेख है कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उल्टी जायेगी और न हीं रूपान्तरित की जायेगी। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

11. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,मसूदा के द्वारा वाद संख्या 98/2020 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03.09.2021 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 06.04..2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner